सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC-RU-IV दिनांक: 22.12.2025

सेवा मे,

सचिव,
कोयला मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
डॉराजेंद्र प्रसाद मार्ग .,
नई दिल्ली -110001
Email Id: secy.moc@nic.in

विषय: "वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त /क्षेत्रीय आयुक्त - 11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" - श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र -IL सी.सी.एल .कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है

भवदीय

22-12-25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सुमन उरांव,
लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि,
क्षेत्र -IL सी.सी.एल .कैम्पस,
दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)
Mobile No:9430143273

PS to Hon'ble Member (Dr. AL)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC

श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड), के अभ्यावेदन के संबंध मे दिनांक 01.12.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत ।

सिटिंग की दिनांक : 01.12.2025 को 05:30 बजे।
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) ने आयोग को शिकायत दी है कि वे कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र रांची में वर्तमान में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। दिनांक 28 अप्रैल, 1989 को कनिष्ठ आशुलिपिक पद पर उनका चयन हुआ था। अभ्यावेदक ने यह उल्लेख किया है कि उनके साथ में ही इसी पद पर योगदान देने वाले कर्मचारी आज सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त पद पर पदोन्नति हो चुके है, जिसका वेतनमान क्रमशः 15600-39100 तथा ग्रेड पे 5400 से 6600 हो गया है तथा सभी सामान्य वर्ग समुदाय से आते हैं। किन्तु अभ्यावेदक का वेतनमान अभी भी 9300-34800 के ग्रेड पे 4800 है जबकि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं एवं इस वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान होते हुये भी उनके विभाग द्वारा उन्हे उनके अधिकारों से भी वंचित किया गया है।अभ्यावेदक ने आयोग से सहायक आयुक्त के पद रिक्त होने कि तिथि से उन्हे उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु आयोग को अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को नोटिस भेजा गया। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी दिनांक 13.10.2023 को नोटिस प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात, 17.04.2025 को आयोग में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से

आशा लकड़ा

सुमन उरांव के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया तथा उनकी सभी पदोन्नतियाँ लागू नियमों और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही की गई।

5. आयोग द्वारा मामले में पुनः दिनांक 01.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार सचिव, कोयला मंत्रालय, को सिटिंग नोटिस जारी किए गए

6. सुनवाई में अतिरक्त सचिव कोल मंत्रालय व् कोल नियंत्रक/आयुक्त CMPFO व् प्रार्थी उपस्थित हुए।

7. विभाग से आए हुए अधिकारीयों ने मामले को आयोग के समक्ष विस्तृत रूप से अवगत कराया तथा प्रार्थी को भी सुना गया।

8. **मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-**

1. विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पूर्व में न्यायालय में लंबित था, परंतु अब सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया गया है।
2. अतः प्रकरण में आयोग द्वारा और कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। **इसलिए यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।**

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC-RU-IV

Sitting to be held on **01.12.2025 at 05.30 P.M-** वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त क्षेत्रीय / - आयुक्त11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" - श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र -IL सीकैम्पस .एल.सी., दरभंगा हाउस, रांची से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड).

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Secretary, Ministry of Coal, New Delhi**		
1.	Ms. Rupinder Brar Addl. Secy Min of coal		[signature]
2.	Sajeesh Kumar N coal controller cum commissioner CMPFO/ (Additional charge)		[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Suman Oraon		[signature]
2.			